

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDUR
CODE, 1898 शिवानी शर्मा
In the court of . गोहद, जिला-भिण्ड जेएमएफसी गोहद
प्रकरण कमांक <i>69</i> /2018 5um
Name and address of the complain म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना
गोहद अवस्त । भण्ड म०प्र० विषय विषय । विषय । विषय । विषय ।
name, parentage, caste and address of accused-
1. अबि वांचि 5/0 कि प्रिंग किए वाणाया
No quit of get siles -engler
The offence complained of, and date of its alleged commission The offence complained of, and date of its alleged commission The offence complained of, and date of its alleged commission The offence complained of, and date of its alleged commission The offence complained of, and date of its alleged commission The offence complained of, and date of its alleged commission The offence complained of, and date of its alleged commission The offence complained of, and date of its alleged commission The offence complained of, and date of its alleged commission The offence complained of, and date of its alleged commission The offence complained of, and date of its alleged commission The offence complained of, and date of its alleged commission The offence complained of, and date of its alleged commission The offence complained of the offence commission of the o
जिन्छ - जन्मिलार के के क्या पार जा
The plea of the accused and bis examination [if any]
and a second
आरोपी का अभिवाक- ि अपराधा प्रमिवार्टि विज्ञानि नहीं नाहिला हैं विज्ञानि नहीं नाहिला हैं

//निर्णय//

(आज दिनांक 12-5-18) को पारित किया गया)

- 1. अभियुक्त को आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अपराध की विशिष्टियां पढकर सुनायी एवं समझायी जाने पर उसने अपराध करना स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार किया है आरोपी की स्वेच्छा स्वीकारोक्ति पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है अतः उक्त स्वेच्छा स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को धारा आवक्की 34 के अंतर्गत दोषसिद्धि ठहराया जाता है।
- अभियुक्त के प्रथम अपराध होने एंव प्रकरण के तथ्य व परिस्थितयों को देखते हुए उसे न्यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्ड अधिरूपित करने से ही न्याय के उददेश्यों से ही पूर्ति हो सकती हैं। benisigmoo sonello en l
- 3. फलस्वरूप आरोपी को धारा 34 आववारी के अंतर्गत न्यायालय उटने तक की सजा एवं 1100/- रूपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि में व्यतिक्रम होने पर 15 दिवस के साधारण कारावास के दंड से दंडित किया जाता है।
- प्रकरण में मुददे माल 19 क्वाध्य देशी मीक्स लट्य की ओर भेजी जावे
- 5. आरोपी स्वतंत्र हो।

स्थान-गोहद

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

> (शिवानी शर्मा) जेएमएफसी गोहद

शिवानी प्रार्वी न्यायिक मजिस्ट्रेट पथम श्रेगी गोहद, जिला-भिण्ड

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

(शिवानी शर्मा) जेएमएफसी गोहदार्भी